प्रेस विज्ञप्ति

4/10/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलोर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 04.10.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध एक जाँच के संबंध में 423.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

इस मामले में ईडी द्वारा जाँच, मेसर्स ओज़ोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ बेंगलुरु शहर के विभिन्न पुलिस थानों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 419, 420 और 120बी के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई, ईओ-I, नई दिल्ली द्वारा भी कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी।

मेसर्स ओज़ोन अर्बाना इंफ़्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर मुख्य आरोप यह है कि उसने समय पर प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा नहीं किया और ग्राहकों को कब्ज़ा नहीं दिया। आरोप है कि कंपनी ने भोले-भाले ग्राहकों को फ्लैट का कब्ज़ा देने तक निर्माण-पूर्व ईएमआई का भुगतान करने का वादा करके बहकाया। हालाँकि, कंपनी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही और परियोजना/फ्लैटों को पूरा नहीं किया। बिल्डर ने न तो घर खरीदारों को आवासीय इकाइयों का कब्ज़ा दिया, न ही उनकी जमा राशि वापस की और पूरी अग्रिम बुकिंग राशि/ऋण राशि का गबन किया।

इससे पहले, (ईडी), बैंगलोर जोनल कार्यालय ने इस मामले में 01/08/25 को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न परिसरों से परियोजना निधि के विचलन और दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे।

इसके अलावा, ईडी की जाँच के दौरान, यह पता चला है कि मेसर्स ओज़ोन अर्बाना इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने श्री एस. वासुदेवन (मुख्य प्रमोटर) के साथ मिलकर घर खरीदारों के साथ 927.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है और उक्त धनराशि के बदले अपार्टमेंट/यूनिट का कब्ज़ा नहीं दिया है, जिससे

बेईमानी से धनराशि अपने पास रखी और उसका दुरुपयोग किया गया। आरोपियों ने धनराशि को समूह की अन्य संस्थाओं और स्वयं श्री एस. वासुदेवन और उनके परिवार के सदस्यों सहित संबंधित व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया।इसलिए, कंपनी और श्री एस वासुदेवन ने 927.22 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की है और इसे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भेजा है और इसका उपयोग वास्तविक उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया है, अर्थात ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में परियोजनाओं के निर्माण और विकास के लिए किया है ।

इस प्रकार, ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए, मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की अचल संपत्तियां (एवेन्यू (92 फ्लैट) और एक्का 2 परियोजनाओं (13 फ्लैट) में बिना बिके स्टॉक, 4.5 एकड़ व्यावसायिक भूमि) और इसके प्रमोटर एस. वासुदेवन और उनकी पत्नी की निजी संपत्तियां (कन्नहल्ली गांव, मुदिगेरे में 179 एकड़ भूमि), कुल मिलाकर 423.38 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है।
पीएमएलए के तहत आगे की जांच जारी है।

DIRECTORATE OF EN